23/2/22
Not press
23/2/22

[illegible] वकील [illegible] द्वारा
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 039 R 20 व धारा
13 CPC को Not Press किया तथा प्रार्थना
पत्र को आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया
वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को Not
Press. वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज
किया जाता है पत्रावली अनिवार्य होकर
[illegible] दिनांक 23/02/2022 को
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:57 IST
Reason: SelfAttested